न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 423/2022/225 आरटीए
आरसीएमएस नं. 2022/423

1. मनजीत कौर पत्नी श्री प्रताप सिह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
2. लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रताप सिह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
3. परविन्द्र सिह पुत्र श्री प्रताप सिह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
4. जसप्रीत कौर पुत्री श्री प्रताप सिह पत्नी श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी पतली तहसील सादुल ाहर जिला श्री गंगानगर (राज0)
5. हरविन्द्र कौर पुत्री श्री प्रताप सिह पत्नी श्री गुरसाहब सिंह जाति जटसिख निवासी कालीरावण तहसील सादुल ाहर जिला श्री गंगानगर (राज0)

—: अपीलार्थीगण

बनाम

गुरसाहब सिंह पुत्र श्री डिप्टी सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

—: प्रत्यर्थी

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 16.12.2022, न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय, संगरिया, मुकदमा नम्बर 153/2016, अनवानी गुरसाहब सिंह बनाम प्रताप सिह,

उपस्थित :–

श्री खुशप्रीत सिंह सन्धू, अधिवक्ता अपीलार्थीगण

श्री राजेश दीपराय, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

निर्णय दिनांक 27.07.23

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी प्रताप सिह द्वारा अपीलाधीन निर्णय के विरूद्व इस आधार पर अपील प्रस्तुत की कि धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार (राजस्व), संगरिया से मौका निरिक्षण की रिपोर्ट मंगवाई गई तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 12.07.2017 में गिरदावर हल्का द्वारा मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 13 से आवागमन होने व मौके पर चलने की रिपोर्ट प्रेषित की तथा सबसे निकटतम रास्ते बाबत भी इसी बीधा से होने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा दिनांक 06.09.2022 को मंगवाई गई पुनः रिपोर्ट में भी मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 13 में सबसे निकटतम रास्ता होने बाबत रिपोर्ट की गई तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोडेन्ट द्वारा याचित रास्ता की आराजी जगसीर सिंह के आधिपत्य व धारण की आराजी है, जिस बाबत रिपोर्ट दिनांक 12.07.2017 में स्पष्ट उल्लेख है परन्तु रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख होते हुए भी याचित रास्ते की आराजी के काबिज व्यक्ति जगसीर सिंह जो आव यक पक्षकार था, को विचारणीय न्यायालय ने पक्षकार न बनाकर कानूनी भूल की है। विचारणीय न्यायालय द्वारा अपनी फर्द अहकाम दिनांक 23.07.2021 में मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 13 के खातेदार का तकार को पक्षकार बनाने बाबत आदे । पारित किया जिसके विरूद्व रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी भी कोई कार्यवाही मियाद अवधि में नही की गई, इस कारण उक्त आदेश अन्तिम हो चुका था परन्तु विचारणीय न्यायालय द्वारा अपने ही आदेश के विरूद्व जाकर किला नम्बर 13 के खातेदार की तलबी करवाये बिना ही प्रकरण मे अन्तिम निस्तारण कर दिया। तहसीलदार राजस्व की रिपोर्ट में पत्थर नम्बर 135/131 मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 13 में रास्ता प्रस्तावित किया था परन्तु विचारणीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार राजस्व के प्रस्ताव से विपरित जाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया जबकि तहसीलदार राजस्व के प्रस्ताव को न मानने बाबत आदेश में किसी प्रकार का कोई कारण का उल्लेख नही किया है। विचारणीय न्यायालय द्वारा रास्ते में आई भूमि के बदले डीएलसी के मुताबिक मुआवजा के आदेश पारित किये है जबकि डीएलसी बाबत आदेश अगर कृषि भूमि चिपती न हो तो ही पारित किये जा सकते है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में रास्ते की भूमि के एवज में उतनी ही कृषि भूमि या उक्त आराजी का बाजार भाव देने बाबत कथन किये है, परन्तु विचारणीय न्यायालय द्वारा इस कानूनी तथ्य की ओर ध्यान ना देकर विधिक भूल की है। पत्थर नम्बर 135/131 मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 13 में सबसे निकटतम रास्ता स्वीकृत किया जा सकता था तथा कानूनन भी सबसे निकटतम रास्ता ही स्वीकृत होना चाहिए था जिस बाबत रिपोर्ट दिनांक 12.07.2017 व 06.09.2021 में भी स्पष्ट उल्लेख था तथा विचारणीय न्यायालय द्वारा भी अपनी फर्द अहकाम दिनांक 23.07.2021 में भी किला नम्बर 13 में से नजदीकी रास्ता होने के कारण किला नम्बर 13 के खातेदार को पक्षकार बनाने का आदेश दिया था, इस प्रकार कानूनन किला नम्बर 13 में से ही रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए था क्योकि किला नम्बर 13 में रास्ता स्वीकृत होने से कम भूमि गैर मुमकिन में तब्दील होगी तथा किला नम्बर 13 से ही होकर रेस्पोडेन्ट अपनी भूमि में आवागमन करता आ रहा है, किला नम्बर 13 में मौका पर भी रास्ता चालू है, जिसकी ताईद रिपोर्ट से होती है परन्तु विचारणीय न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की ओर ध्यान ना देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

2. दौराने अपील अपीलार्थी प्रताप सिंह की मृत्यु होने के बाद प्रताप सिह के वारिसान द्वारा उक्त अपील में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार किया जाकर प्रताप सिंह के वारिसान को बतौर अपीलार्थीगण पक्षकार संयोजित किया गया।
3. उभय पक्ष के अभिभाशकगण की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

4. अपीलार्थीगण द्वारा अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि मौका निरिक्षण रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 12.07.2017 में गिरदावर हल्का द्वारा मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 13 से आवागमन होने व मौके पर रास्ता चलने की रिपोर्ट प्रेशित की व इसी बीघा में से सबसे निकटतम रास्ता होने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा पुनः रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें दिनांक 06.09.2021 की रिपोर्ट में भी मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 13 में सबसे निकटतम रास्ता होने बाबत रिपोर्ट की गई तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा याचित रास्ता 2788.50 वर्गफुट व किला नम्बर 13 से विकल्प नम्बर 2 का रास्ता 1361.25 वर्गफुट होने की रिपोर्ट पेश की तथा विचारणीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2021 को किला नम्बर 13 के खातेदार का तकार को पक्षकार बनाये जाने हेतु रेस्पोडेन्ट को निर्देशित किया व पक्षकार बनाया जाकर पक्षकार को जरिये नोटिस तलब किया जाकर आगामी तारीख पेशी 28.07.2021 मुकर्रर की गई तथा किला नम्बर 13 के खातेदार का तकार को तलब किये बिना ही अन्तिम आदेश पारित किया गया व कथन किये कि कानूनन भी सबसे निकटतम रास्ता स्वीकृत होना चाहिए, जिस बाबत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दिनांक 14.12.2021, निगरानी संख्या 4292/2020 प्रस्तुत किया तथा विचारणीय न्यायालय द्वारा मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 8 में 8.25 गुणा 165 फुट, किला नम्बर 9 में 8.25 गुणा 165 फुट, किला नम्बर 10 के कोने में 8.25 गुणा फुट व किला नम्बर 1 में 8.25 गुणा 330 फुट कुल 5511 फुट रास्ता जरिये अपीलाधीन आदेश स्वीकृत किया गया है जबकि विकल्प सख्या 2 से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो मात्र 1361.25 फुट ही रास्ता स्वीकृत होता, इस कारण विचारणीय न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2022 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारणीय न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट को अपनी आराजी में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध नही है। विचारणीय न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए समस्त तथ्यो को दृश्टिगत रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलार्थी द्वारा रास्ता न देने की गर्ज से झूठे व गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है। रास्ता के अभाव में रेस्पोडेन्ट को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विचारणीय न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा सन् 2016 में रास्ता प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, लगभग 7 वर्षो की लम्बी अवधि से रेस्पोडेन्ट को रास्ता के अभाव में अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु भारी असुविधा का सामना करना पड रहा है, अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष अभिभाशकगण की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि विचारणीय न्यायालय द्वारा 04 बीघे लम्बाई में रास्ता स्वीकृत किया गया है तथा मौके हेतु मंगवाई गई रिपोर्ट दिनांक 12.07.2017 व 06.09.2021 में पत्थर नम्बर 135/131 (24) किला नम्बर 13

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

में से सबसे निकटतम रास्ता रेस्पोडेन्ट की आराजी में आवागमन हेतु उपलब्ध हो सकता है जिस बाबत विचारणीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2021 को रेस्पोडेन्ट को किला नम्बर 13 के खातेदार का तकार को पक्षकार बनाने हेतु निर्देशित भी किया था व पक्षकार बनाया जाकर जरिये नोटिस तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया था परन्तु विचारणीय न्यायालय द्वारा आदेश की पालना में रेस्पोडेन्ट द्वारा किला नम्बर 13 के खातेदार काश्तकार को पक्षकार नही बनाया गया तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2021, निगरानी सख्या 4292/2020 में भी यह उपधारित किया गया है कि रास्ते हेतु कम से कम भूमि का प्रयोग होना चाहिए व कम दूरी का रास्ता उपलब्ध हो तो लम्बी दूरी के रास्ते को मंजूरी नही दी जावे जो पूर्ण रूप से वर्तमान प्रकरण पर चस्पा होती है, इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.2022 खारिज किये जाने व अपील अपीलार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.12.2022 को अपास्त किया जाता है। रेस्पोडेन्ट पत्थर नम्बर 135/131 मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 13 बाबत रास्ता स्वीकृति हेतु आवेदन करने हेतु स्वतंत्र होगा। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली फेसल शुमार हो, नंबर से कम कर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनाक 27.07.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/7/23

(करतार सिंह पुनिया आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ (राज.)